नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल
पीठासीन अधिकारी : कृष्णपाल सिंह चौहान (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 30 / 2012

उनवान

श्री भवानी शंकर पुत्र रामचन्द्र राव मृतक के बजाय कायम मुकाम ––

1– श्री ओम प्रकाश पुत्र भवानी शंकर राव, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल (भीलवाड़ा)
2– श्री रमेश पुत्र भवानी शंकर राव, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल (भीलवाड़ा)
3– श्री दिनेश पुत्र भवानी शंकर राव, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल (भीलवाड़ा)
4– श्री कन्हैयालाल पुत्र भवानी शंकर राव, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल (भीलवाड़ा)
5– श्री राकेश पुत्र भवानी शंकर राव, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल (भीलवाड़ा)
6– श्रीमती गोरजा देवी पत्नी भवानी शंकर राव, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल (भीलवाड़ा)

–वादीगण

बनाम

1– श्री श्यामलाल पुत्र हजारीमल भाट, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल (भीलवाड़ा)
2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 26.07.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम माण्डल, तहसील माण्डल की आराजी संख्या 2219 रकबा 01.13 बीघा, आराजी संख्या 2220 रकबा 01.12 बीघा, आराजी संख्या 2221 रकबा 01.11 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 04.16 बीघा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात के बन्दोबस्त पूर्व आराजी संख्या 5335 रकबा 05.11 बीघा थे, जिसके पड़ौस पूर्व में – श्री महादेव हरिशंकर माणणिया, पश्चिम में – श्री लादूराम पटवारी व वादी का खेत, उत्तर में – श्री परसराम पटवारी की आराजी व दक्षिण में – रास्ता आम कालूखेड़ा जाने का। उक्त वर्णित पड़ौसी के मध्य की साबिक आराजियात में से प्रतिवादी संख्या 01 के पिता श्री हजारीमल पुत्र भेरूलाल भाट ने तीसरा हिस्सा वादीगण के पिता श्री रामचन्द्र पिता काशीलाल राव को दिनांक 25.09.1967 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा दे दिया लेकिन उसके पश्चात् बन्दोबस्त की कार्यवाही चलने के कारण विक्रयशुदा आराजियात का नामान्तरण वादी के पिता के

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

नाम दर्ज नहीं हो सका इस कारण विक्रयशुदा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के पिता श्री हजारीमल के नाम पर ही दर्ज रही एवं उनके निधन के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज चली आ रही है जबकि उपरोक्त वर्णित हाल आराजियात 04.16 बीघा में से तीसरे हिस्से पर वादी का कब्जा विक्रय पत्र दिनांकित 25.09.1967 से चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजियात प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज रहने के कारण वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात में से तीसरे हिस्से का नामान्तरण वादी के नाम दर्ज करावें क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता श्री हजारीमल ने वादी के पिता श्री रामचन्द्र को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बिकाव कर कब्जा दिया हुआ है लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 तैयार नहीं हुआ एवं वादी को धमकी दी कि वादग्रस्त आराजियात पर से वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर वादी को बेदखल कर देगा तथा वादग्रस्त आराजियात को अन्य को विक्रय, हस्तान्तरित कर देगा इस कारण वादी को वादपत्र में उक्त वर्णित आराजियात के 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित होने एवं वादी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बाधा उत्पन्न नहीं करने एवं आराजियात को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा विक्रय, हस्तान्तरित नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा बाबत यह वादपत्र प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 02 भूमिधारी होने से औपचारिक पक्षकार बनाया गया।

वादी की ओर से वादपत्र के समर्थन में नक्सा ट्रेस, जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 खाता संख्या 2052, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो प्रति एवं भू–प्रबंध विभाग का खसरा मिलान सम्वत् 2025 पेश किया गया।

वादपत्र में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी समझाईस से राजीनाम हो जाने से राजीनामा मार्फत पक्षकारों के अधिवक्तागण के दिनांक 02.07.2019 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य राजीनाम के अनुसार ग्राम माण्डल की वादग्रस्त आराजियात आराजी संख्या 2219 रकबा 01.13 बीघा, आराजी संख्या 2220 रकबा 01.12 बीघा, आराजी संख्या 2221 रकबा 01.11 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 04.16 बीघा में से आराजी संख्या 2221 रकबा 01.11 बीघा एवं आराजी संख्या 2220 में से आराजी संख्या 2221 से लगता हुआ 01 बिस्वा पर कब्जा है तथा उक्त रकबा आराजी संख्या 2221 रकबा 01.11 बीघा एवं आराजी संख्या 2220 में से 01 बिस्वा भूमि कुल 01.12 बीघा भूमि वादीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज किये जाने में प्रतिवादी को आपत्ती नहीं है तथा वादीगण के नाम उक्त आराजी दर्ज करने में प्रतिवादी सहमत है तथा वादीगण की आराजी संख्या 2221 तक पहुंचने के लिये रास्ता आराजी संख्या 2220 में से आराजी संख्या 2224 से आगे उत्तर दिशा की ओर 10 फीट चौड़ा रास्ता आराजी संख्या 2221 में पहुंचने के लिये प्रतिवादी की आराजी संख्या 2220 में से दिया जायेगा। उक्त आराजी संख्या 2220 में से जितना रास्ता आराजी संख्या 2221 तक पहुंचने के लिये काम आयेगा उसकी गणना कर वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर से दुगना राशि का भुगतान वादीगण द्वारा प्रतिवादी को करने पर वादीगण आराजी संख्या 2220 में से आराजी संख्या 2221 तक पहुंचने के लिये रास्ते का उपयोग कर सकेगें। डी.एल.सी. दर से राशि का भुगतान होने पर आराजी संख्या 2220 में से जो रास्ता वादीगण के लिये दिलाया गया है, उसका उपयोग उपभोग वादीगण कर सकेगें जिसमें प्रतिवादी की किसी

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रकार की बाधा एवं दखल उत्पन्न करने का अधिकार नहीं होगा तथा उक्त रास्ता एक मात्र वादीगण के उपयोग उपभोग का रहेगा तथा वादीगण राजस्व रेकार्ड में उक्त रास्त को अपने नाम दर्ज करा सकेंगे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम माण्डल की जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 के अनुसार खाता संख्या 2052 श्री श्यामलाल पिता हजारीमल भाट के नाम दर्ज रेकार्ड है। मिलान खसरा अनुसार उक्त खाते में अंकित आराजियात बन्दोबस्त पूर्व आराजी संख्या 5335 थी तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार आराजी संख्या 5335 में से तीसरा हिस्सा हजारीमल पिता भेरूलाल भाट निवासी–माण्डल ने रामचन्द्र पिता काशीलाल राव को बेचान किया गया। रामचंद्र के पुत्र भवानी शंकर व भवानी शंकर के पुत्र/पत्नि वादपत्र में वादीगण व हजारीमल भाट का पुत्र श्यामलाल भाट प्रतिवादी है। अतः उक्तानुसार राजीनामा से वादग्रस्त आराजियात वादीगण के नाम किये जाने व तद्नुसार मौके व राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने व तद्नुसार नक्शे में तरमीम कराने के अधिकारी है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम माण्डल की आराजी संख्या 2221 रकबा 01.11 बीघा एवं आराजी संख्या 2220 के रकबा में से 01 बिस्वा कुल रकबा 01.12 बीघा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आराजी संख्या 2220 रकबा में से 01 बिस्वा वादीगण को आराजी नं. 2221 की निकटतम सीमा के पास से दी जायेगी।

वादीगण को आराजी संख्या 2221 तक पहुंचने के लिये प्रतिवादी की आराजी संख्या 2220 में से 10 फीट चौड़ा रास्ता आराजी संख्या 2224 की उत्तर दिशा एवं आराजी संख्या 2223 को मिलने वाली सीमा के नजदीक से दिया जायेगा। उक्त आराजी संख्या 2220 के रकबा में से जितना रास्ता आराजी संख्या 2221 तक पहुंचने के लिये उपयोग आयेगा उस रकबे की गणना तहसीलदार माण्डल द्वारा की जायेगी। रास्ते के रकबे का वादीगण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर से दुगना राशि का भुगतान प्रतिवादी को करने पर वादीगण आराजी संख्या 2220 में से आराजी संख्या 2221 तक पहुंचने के लिये रास्ता ले सकेगें। प्रतिवादी को राशि प्राप्त होने पर तहसीलदार माण्डल रास्ते का नक्शे में तरमीम किया जायेगा। आराजी संख्या 2220 नक्शे में तरमीम रास्ते का उपयोग उपभोग वादीगण कर सकेगें जिसमें प्रतिवादी किसी प्रकार की बाधा एवं दखल उत्पन्न नहीं करेगा। वादीगण राजस्व रेकार्ड में उक्त रास्ते को अपने नाम दर्ज करा सकेंगे।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2019 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल
पीठासीन अधिकारी – कृष्णपाल सिंह चौहान (आर.ए.एस.)

उनवान

श्री भवानी शंकर पुत्र रामचन्द्र राव मृतक के बजाय कायम मुकाम ––
1– श्री ओम प्रकाश पुत्र भवानी शंकर राव, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल (भीलवाड़ा)
2– श्री रमेश पुत्र भवानी शंकर राव, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल (भीलवाड़ा)
3– श्री दिनेश पुत्र भवानी शंकर राव, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल (भीलवाड़ा)
4– श्री कन्हैयालाल पुत्र भवानी शंकर राव, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल (भीलवाड़ा)
5– श्री राकेश पुत्र भवानी शंकर राव, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल (भीलवाड़ा)
6– श्रीमती गोरजा देवी पत्नी भवानी शंकर राव, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल (भीलवाड़ा)

–वादीगण

बनाम

1– श्री श्यामलाल पुत्र हजारीमल भाट, निवासी–माण्डल, तहसील–माण्डल (भीलवाड़ा)
2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत – वाद पत्र घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर :– 30 / 2012
निर्णय दिनांक :– 26.07.2019

वादीगण एवं प्रतिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि––

ग्राम माण्डल की आराजी संख्या 2221 रकबा 01.11 बीघा एवं आराजी संख्या 2220 के रकबा में से 01 बिस्वा कुल रकबा 01.12 बीघा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आराजी संख्या 2220 रकबा में से 01 बिस्वा वादीगण को आराजी नं. 2221 की निकटतम सीमा के पास से दी जायेगी।

वादीगण को आराजी संख्या 2221 तक पहुंचने के लिये प्रतिवादी की आराजी संख्या 2220 में से 10 फीट चौड़ा रास्ता आराजी संख्या 2224 की उत्तर दिशा एवं आराजी संख्या 2223 को मिलने वाली सीमा के नजदीक से दिया जायेगा। उक्त आराजी संख्या 2220 के रकबा में से जितना रास्ता आराजी संख्या 2221 तक पहुंचने के लिये उपयोग आयेगा उस रकबे की गणना तहसीलदार माण्डल द्वारा की जायेगी। रास्ते के रकबे का वादीगण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर से दुगना राशि का भुगतान

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी को करने पर वादीगण आराजी संख्या 2220 में से आराजी संख्या 2221 तक पहुंचने के लिये रास्ता ले सकेगें। प्रतिवादी को राशि प्राप्त होने पर तहसीलदार माण्डल रास्ते का नक्शे में तरमीम किया जायेगा। आराजी संख्या 2220 नक्शे में तरमीम रास्ते का उपयोग उपभोग वादीगण कर सकेगें जिसमें प्रतिवादी किसी प्रकार की बाधा एवं दखल उत्पन्न नहीं करेगा। वादीगण राजस्व रेकार्ड में उक्त रास्ते को अपने नाम दर्ज करा सकेंगे।

आज तारीख 26.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा